न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 122/2022

गुगन आयु 85 वर्ष पुत्र जोरा, जाति जाट, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

आवेदक

बनाम

1. उमराव आयु 55 वर्ष पुत्र हनुमान, जाति जाट, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं।
3. उपखण्ड अधिकारी चिडावा जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राज0 टी0 एक्ट बाबत स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टी0 एक्ट मु0नं0 14/2013 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिडावा तारीख पेशी 13.04.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक — आवेदक की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक — अनावेदक संख्या 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — अनावेदक संख्या 2 व 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.06.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रार्थी व अन्य की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 436 तादादी 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 437 तादादी 0.85 हैक्टर वाके ग्राम गिडानिया में से अपना अपनी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 478 तादादी 0.06 हैक्टर में से ग्राम गिडानिया की तरफ आवागमन करने हेतु हमेशा से रास्ता स्थित होना बतलाते हुये अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी नं0 1 ने अदालत मातहत के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से साँठ-गाँठ कर कानून के विरूद्ध प्रार्थी व अन्य की जमीन व्यथित होकर प्रार्थी व अन्य की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर अधिकारी रा0 कैम्प कोर्ट झुझुनू में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 06.11.2018 को खारिज किये जाने पर प्रार्थी की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 03.06.2020 को प्रार्थी व अन्य की निगरानी स्वीकार कर अदालत मातहत व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 15:42:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलीय न्यायालयों के आदेशो को खारीज करते हुये पुनः उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवाई जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय करने का आदेश दिया। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की बिना किसी प्रकार से पालना करते हुये उभय पक्षकारान् की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर बिना पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिये ही तारीख पेशी दिनांक 25.03.2022 को अप्रार्थीगण नम्बर 6/1 लगायत 6/4 की तामील बिना किसी अधिकार के मानते हुये बार–बार आवाज दिलवाई जाना बतलाते हुये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश दिया तथा पत्रावली आयन्दा मौका रिपोर्ट बहस हेतु दिनांक 01.04.2022 दी। दिनांक 01.04.2022 को प्रार्थी/अप्रार्थी नं0 1 की ओर से उक्त सभी अनियमितताओं को अदालत मातहत को अवगत करवाया इसके बावजूद अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने बहस हेतु अंतिम अवसर देते हुये तारीख पेशी 08.04.2022 दी। दिनांक 01.04.2022 को ही अप्रार्थी नं0 1 ने प्रार्थी व अन्य को धमकी दी कि उसने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर सौदा तय कर लिया है तथा फैसला प्रार्थी के विरूद्ध करवा कर ही रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के वर्तमान पीठासीन अधिकारी, महोदय धारा 251ए राज0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये समस्त प्रार्थना पत्रों में हर सप्ताह तारीख पेशी देकर पक्षकारान पर ले देकर फैसला करवाने का दबाव बनाते है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय ने अप्रार्थी नं0 1 से अपना सौदा तय कर प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के खिलाफ देने का पक्का मानस बना लिया। इस पर तारीख पेशी दिनांक 08.04.2022 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आंशका प्रकट की गई की प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई आशा नही है तथा प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य किसी सक्षम अदालत में स्थानान्तरित किये जाने के लिए कार्यवाही करने हेतु एक माह की अवधि का समय दिये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत ने अपने लालचवश प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2022 की बिना प्रवाह किये अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र ले लिया तथा बिना बहस सुने ही आदेशिका में बहस सुनी जाना लिखा जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दी। अदालत मातहत के उक्त कन्डक्ट से यह साफ जाहिर है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी विपक्षी नं0 1 से मिले हुये है तथा प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र तुरन्त दर्ज किया जाकर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाकर इस पत्रावली को अन्य किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ[illegible] 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मु0न0 14/2013 की पत्रावली तुरन्त तलब की जाकर बाद [illegible] पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 15:42:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 350 दिनांक 26.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रा0 पत्र की बिन्दू सं0 1 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है शेष प्रश्न मे प्रार्थी के वकील द्वारा न्यायालय मे गलत व्यवहार करना व अपनी सभी पत्रावली मे किसी प्रकार की बहस नही करना व जबाब नही देना लेकिन न्यायालय मे तो पत्रावली मे आगामी कार्यवाही करनी होती है अन्यथा अप्रार्थीगण को न्यायालय से न्याय नही मिल पाता और प्रकरण मे कार्यवाही लम्बित रहती है जो प्रार्थी कार्यवाही को लम्बित करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे पिछली 2–3 पेशियों से पत्रावली स्थानान्तरण हेतु कहते रहे लेकिन प्रार्थी के वकील द्वारा न्यायालय मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया कि पत्रावली स्थानान्तरण की जावे या प्रकरण की कार्यवाही को रोक दी जारवे। प्रार्थी द्वारा न्यायालय पर लगाये गये आरोप गलत है। शेष प्रश्न मे प्रार्थी को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है। बिन्दू सं0 2 व 3 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई आशा नही है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अपने लालचवश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2022 की बिना परवाह किये अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र ले लिया तथा बिना बहस सुने ही आदेशिका में बहस सुनी जाना लिखा जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दी। अदालत मातहत के उक्त कन्डक्ट से यह साफ जाहिर है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी विपक्षी नं0 1 से मिले हुये है तथा प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मु0न0 14/2013 की पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा मे विचाराधीन उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मु0न0 14/2013 की पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति नही की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 15:42:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 14/2013 उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी चिडावा मुकदमा संख्या 14/2013 उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में दिनांक 07.07.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 15:42:43 IST
Reason: SelfAttested